G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)
CIN : L74999DL2003GOI118633

पत्र कृ. 12.5 A RVNL BPL/Forest Corres

दिनांक: 04.11.2024

प्रति,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंधन) म.प्र
वन भवन भोपाल,

विषय : देवास एवं सीहोर जिले में बुदनी-इन्दौर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास वन मण्डल की 45.715 हेक्टेयर वनभूमि एवं सीहोर वन मण्डल की 24.920 हेक्टेयर वनभूमि कुल 70.635 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 70.775 हे.) रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत्। **(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/42206/2019).**

संदर्भ **1** भारत सरकार MOEF RO Office BPL का पत्र क्रमांक 6 एमपीआर 040/2023- बीएचओ दिनांक: 22.07.2024.

2 आपका पत्र क्रमांक / एफ-5/1346/2023/10-11/3882 दिनांक: 24.07.2024.

3 इस कार्यालय का पत्र क्र. 12.5A/RVNL BPL/ Forest Corres दिनांक:-03.08.2024 एवं 13.09.2024.

विषयांकित में आपके संदर्भ पत्र क्रमांक 2 से MOEF RO Office BPL द्वारा चाहे गए observation point number 1 के संदर्भ में देवास जिले के अंतर्गत आवेदित 45.715 हेक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध कुल 45.292 हेक्टेयर राजस्व भूमि (Non forest land) तहसील टोकखुर्द एवं तहसील देवास जिला देवास के अंतर्गत आरक्षित होकर चिन्हांकित की जा कर भूमि हस्तांतरण आदेश जिला कलेक्टर देवास द्वारा निम्नानुसार जारी किए गये है।

कृ.	कलेक्टर देवास का प्रकरण क्र/ दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	रकवा हे.
1	0011/अ-20 (3)/2024-2025/ दिनांक 21.08.2024	मोहमदखेड़ा तहसील टोकखुर्द	10	23.65 हे.
2	0011/अ-20 (3)/2024-2025/ दिनांक 21.08.2024	मोहमदखेड़ा तहसील टोकखुर्द	5/1	8.642 हे.
3	0001/अ-20 (1)/2023-2024/ दिनांक 20.06.2023	मिर्जापुर तहसील देवास	340/1	13 हे.
	कुल राजस्व भूमि हे.			**45.292 हे.**

कलेक्टर महोदय द्वारा जारी उक्त हस्तांतरण आदेशो की प्रतियाँ आपके निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर प्रकरण में आपसे अनुरोध है, कि संबंधित वन मंडल अधिकारी देवास को उक्त हस्तांतरित राजस्व भूमि पर क्षतिपूर्ति बनीकरण योजना तैयार करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि MOEF RO office BPL के observation point number 1 की पूर्ति की जाकर परियोजना कार्य मे अनावश्यक विलंब को रोका जा सके सादर प्रेषित ।

संलग्न:- हस्तांतरण आदेश प्रति-3

RAGHVENDRA SARASWAT
Digitally signed by RAGHVENDRA SARASWAT
Date: 2024.11.05 13:42:13 +05'30'

(राघवेन्द्र सारस्वत)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल

प्रतिलिपि :-वन मंडल अधिकारी देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कृपया आवेदित भूमि के विरुद्ध हस्तांतरित राजस्व भूमि पर क्षतिपूर्ति बनीकरण योजना तैयार करने हेतु संबंधित अधीनस्थों को आदेशित करने का कष्ट करें।

राजस्व आदेश- पत्र अनुवृत्ति - पत्र

मामला क्रमांक 0011/अ-20 (3)/2024 -2025

1	2	3
21.08.2024	प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन.एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन मांग की गई। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2300/तक/का.य./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार म. प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियांवयन ईकाई इंदौर के अंतर्गत देवास जिले के 324 ग्रामो की खातेगांव-कन्नौद समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन लोक यांत्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 16-21/2020/2/34 भोपाल दिनांक 20.06.2023 से प्राप्त हुई है। जिसके क्रियांवयन हेतु वन भूमि प्रभावित होने से 5.712 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को सौंपी जाना इसके अतिरिक्त योजना के अन्य कार्य जैसे एम.बी.आर., आई.पी.एस एवं उच्च स्तरीय टंकियों के निर्माण हेतु भी वन भूमि प्रभावित होगी। अतः उक्त योजना के क्रियांवयन हेतु उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में गैर वन भूमि/राजस्व भूमि कुल रकबा 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मांग की गई। मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5 A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जी. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित कुल रकबा 45.715 हेक्टेयर वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु इतनी ही (45.715 हेक्टेयर) गैर वनभूमि/राजस्व भूमि की मांग की है। तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर, तहसील टोंकखुर्द के ग्राम मोहम्मद खेड़ा स्थित भूमि सर्वे नंबर 5/1, 10, 224/1 क्रमशः रकबा 24.695 हेक्टेयर मद बड़ी, 23.65 हेक्टेयर मद बड़ी, 41.92 हेक्टेयर मद बड़ी, कुल किता 03 कुल रकबा 90.265 हेक्टेयर भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/आवंटन करने के संबंध मे विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया बाद समयावधि कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा टी. एन. सी. देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद टोंकखुर्द, ग्राम पंचायत ग्राम मोहम्मद खेड़ा, लोक निर्माण विभाग सोनकच्छ, स्वास्थ्य विभाग	

राजस्व आदेश- पत्र अनुवृत्ति -- पत्र

मामला क्रमांक 0011/31-20(3)/2024-2025

1	2	3

टोंकखुर्द, पी. एच. ई. टोंकखुर्द, विद्युत विभाग टोंकखुर्द, थाना प्रभारी टोंकखुर्द, शिक्षा विभाग टोंकखुर्द से भूमि आवंटन के संबंध में अभिमत चाहा गया।

तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि –

1–. ग्राम मोहम्मद खेड़ा का कुल चरनोई का रकबा 18.700 हेक्टेयर है। ग्राम मे 02 प्रतिशत सुरक्षित चरनोई का रकबा 7.680 हेक्टेयर है इस प्रकार 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा सुरक्षित रहता है।

2– सरपंच द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 224/1 तथा 224/2 पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर पर निस्तारी तालाब, कन्ट्रल ट्रेंच, परकोलेशन टैंक, वृक्षारोपण तथा जंगल की लाईट के पोल बताया जाकर आपत्ति ली गई है।

ग्राम पंचायत की आपत्ति पर विस्तृत जांच रिर्पोट ली गई। जिसमें पाया गया कि ग्राम मोहम्मद खेड़ा मे खसरा कमांक 224/1 रकबा 41.92 हेक्टेयर मे निस्तारी तालाब रकबा लगभग 0.80 हेक्टेयर, कन्टूर ट्रेंच पूर्व मे 400 के लगभग बने है। मिटटी की जल क्षमता बढाने के लिये छोटे छोटे गडडे बनाये गये है। पर्लोलेशन ट्रेंच रकबा 0.60 हेक्टेयर पर पानी की क्षमता बढाने के लिये तालाब निर्मित किया गया है तथा रणायकलां से मोहम्मद खेड़ा जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क के लगभग 01 किलोमीटर लम्बी सड़क उक्त सर्वे कमांक से निकलती है। आसपास ग्राम पंचायत जनोलीखुर्द द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार सर्वे कमांक 224/1 रकबा 41.92 हेक्टेयर मद बर्डी मे से रकबा 5.00 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत जनोलीखुर्द द्वारा कार्य कराये जाने एवं सड़क निर्मित होने के कारण शेष रकबा 36.92 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना उचित बताया गया है।

3– सुनिल पिता देवकरण तथा मुन्नालाल पिता रामसिंह द्वारा आपत्ति आवेदन प्रश्नाधीन भूमि पर अतिकमण के संबध में आपत्ति ली है।

आपत्तिकर्ता सुनील पिता देवकरण, मुन्नालाल रामसिंह, देवकरण पिता रामसिंह निवासी ग्राम मोहम्मद खेड़ा द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर उनका कब्जा होने संबधी आपत्ति निराधार होने से निरस्ती योग्य है।

4– टी. एन. सी. देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद टोंकखुर्द, लोक निर्माण विभाग सोनकच्छ, स्वास्थ्य विभाग टोंकखुर्द, पी. एच. ई. टोंकखुर्द, विद्युत विभाग टोंकखुर्द, थाना प्रभारी टोंकखुर्द, शिक्षा विभाग टोंकखुर्द

Scanned with CamScanner

राजस्व आदेश – पत्र अनुपूर्ति – पत्र

मामला क्रमांक0011/S-F-20(3)/2024-2025

1	2	3

से भूमि आवंटन के संबंध में समयावधि में अभिमत प्राप्त नही होने की दशा में उनकी मौन स्वीकृति मानी जाती हैं।

तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर एवं वनमंण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र कमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–47 (पुराना एन.एच. 59–ए) इंदौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र कमांक 2360/तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार खातेगांव–कन्नौद समुह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र कमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर–बुदनी न्यु बी.जी. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की अनुशंसा निम्न तालिका अनुसार की हैं –

क्र.	विभाग का नाम	हस्तांतरण/आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर		
		भूमि सर्वे कमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1– 24/1	41.92	36.00
		2– 5/1	24.695	4.053
		योग		40.053
2	खातेगांव–कन्नौद ग्रा.स.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000
3	इंदौर–बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 – 10	23.65	23.65
		2– 5/1	24.695	8.042
		योग		32.922
	कुल			83.703

Scanned with CamScanner

1	2	3
	प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन से सहमत। म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय 2 कण्डिका 17 अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित/आरक्षित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा। प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर एवं वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन .एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360/तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार खातेगांव-कन्नौद समूह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जे. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर राजस्व भूमि निम्न तालिका अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म. प्र. शासन वन विभाग को आरक्षित किये जाने की प्रभारी अधिकारी नजूल ने अनुशंसा की हैं-	

क्र.	विभाग का नाम	हस्तांतरण/आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर		
		भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को	1- 224/1	41.92	36.00
		2- 6/1	24.695	4.053

Scanned with CamScanner

राजस्व आदेश– पत्र अनुवृत्ति – पत्र
मामला क्रमांक0011 /31-20(32)/2024-2025

1	2					3
		फोरलेन किये जाने हेतु . वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	योग		40.053	
	2	खातेगांव–कन्नौद ग्रा.य.ज.प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.095	12.000	
	3	इंदौर–बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 – 10	23.65	23.65	
			2– 5/1	24.695	8.642	
			योग		32.922	
		कुल			83.703	

उपरोक्त कार्यवाही उपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय दो की कंडिका 11 अनुसार प्रकरण में राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि आरक्षित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति होने से प्रकरण जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारण हेतु प्रस्ताव क्रमांक 10/2024–25 दिनांक 20 अगस्त 2024 प्रस्तुत किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा उक्त प्रस्ताव – तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुद के प्रतिवेदन, प्रभारी अधिकारी नजूल के प्रतिवेदन, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर एवं वनमंण्डलाधिकारी वन मंण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र कमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–47 (पुराना एन .एच. 59–ए) इंदौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र कमांक 2360/तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार खातेगांव–कन्नौद समुह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र कमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर–बुदनी न्यु बी.जे.

Scanned with CamScanner

(6)

राजस्व आदेश– पत्र अनुपूरित – पत्र

मामला कमांक 0011 / अ–20 (2) / 2024 –2025

1	2	3

रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर राजस्व भूमि निम्न तालिका अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म प्र शासन वन विभाग को आरक्षित किये जाकी अनुशंसा की है·

क्र	विभाग का नाम	हस्तांतरण / आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर		
		भूमि सर्वे कमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1– 24 / 1	41.92	30.00
		2– 5 / 1	24.695	4.053
		योग		40.053
2	खातेगांव–कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक / क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5 / 1	24.695	12.000
3	इंदौर–बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 – 10	23.65	23.65
		2– 5 / 1	24.695	8.642
		योग		32.922
	कुल			83.703

अतः प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन, प्रभारी अधिकारी नजूल, के प्रतिवेदन, जिला नजूल निर्वर्तन समिति के प्रस्ताव कमांक 10 / 2024–25 दिनांक 20 अगस्त 2024, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र कमांक / डीएम / 2024 / 4281 देवास दिनांक 30.06.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–47 (पुराना एन .एच. 59–ए) इंदौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज मे गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष मे आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र कमांक 2360 / तक / का.सं. / लो.स्वा.यां.वि. / खण्ड / 2024 देवास दिनांक

राजस्व आदेश– पत्र अनुवृत्ति – पत्र

मामला क्रमांक 0011 /अ-20(3)/2024-2025

1	2	3
	6.08.2024 अनुसार खातेगांव–कन्नौद समूह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर–बुदनी न्यु बी.जी. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर राजस्व भूमि निम्न तालिका अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म. प्र. शासन वन विभाग को आरक्षित की जाती हैं–	

क्र.	विभाग का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित भूमि		
		भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1– 224/1	41.92	36.00
		2– 5/1	24.695	4.053
		योग		40.053
2	खातेगांव–कन्नौद ग्रा.स.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000
3	इंदौर–बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 – 10	23.65	23.65
		2– 5/1	24.695	8.642
		योग		32.922
	कुल			83.703

कलेक्टर,

जिला देवास म. प्र.

न्यायालय कलेक्टर जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक / 357 / नजूल / 2024 दिनांक – 04.09.2024

// आदेश //

मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र कमांक 12-5ARVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इन्दौर–बुधनी न्यू बी.जे. रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित कुल रकबा 45.715 हेक्टर वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये इतनी ही (45.715 हे.) गैर वन भूमि/राजस्व भूमि की मांग की गई। जिसके कम मे इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 0011/अ–20(3)/2024–25 आदेश दिनांक 21.08.2024 से तहसील टोंकखुर्द ग्राम मोहम्मद खेड़ा की भूमि सर्वे कमांक 10 एवं सर्वे कमांक 5/1 मे से 32.922 हेक्टर भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित की गई।

चुंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये कुल 45.715 हेक्टर भूमि चाही गई थी जिसमे से 32.922 हेक्टर भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित करने के बाद 12.793 हेक्टर भूमि की आवश्यकता शेष रहती है।

इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 0001/अ–20(1)/2023–24 आदेश दिनांक 20.06.2023 के द्वारा भविष्य मे विभिन्न शासकीय परियोजनाओ में वन अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यवर्तन के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये तहसील देवास के ग्राम मिर्जापुर की भूमि सर्वे कमांक 340/1 रकबा 15.010 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी।

अतः मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र कमांक 12-5ARVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 के कम में तहसील देवास के ग्राम मिर्जापुर की भूमि सर्वे कमांक 340/1 रकबा 15.010 हेक्टेयर भूमि मे से 13.000 हेक्टेयर भूमि इन्दौर–बुधनी न्यू बी.जे. रेल्वे लाईन निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आरक्षित की जाती है।

उक्त आदेश पूर्व प्रकरण कमांक 0001/अ–20(1)/2023–24 आदेश दिनांक 20.06.2023 का भाग होगा।

कलेक्टर
जिला देवास (म.प्र.)

दि. 22/10/24

पंचनामा

हम पंचगण ग्राम- मोहम्मदखेड़ा पट. ह. नं. 40 तह. टोकखुर्द जिला- देवास के होकर यह पंचनामा तस्दीक कराते हैं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला- देवास के रा.प्र.क्र. 0011/अ-20(3)/2024-25 में पारित आदेश दि. 21/08/2024 से ग्राम मोहम्मदखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 10 रकबा 23.65 हे. भूमि इंदौर- बुदनी रेलवेलाइन के निर्माण व्यपवर्तन हेतु वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि आवंटित की गयी है। उक्त आदेश के पालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग टोकखुर्द के आदेश क्र. 2780/री 2024 टोकखुर्द दि. 18/10/2024 से गठित दल के सदस्यगण मौके पर सीमांकन कर कब्जा देने हेतु उपस्थित हुए। मौके पर श्री विजय तलवारे तहसीलदार टोकखुर्द, श्री राजेन्द्र सोलंकी वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं श्रीमती दिपा मांडवे SDOP सोनकच्छ विभाग, श्री अनुप सोनी निरीक्षक थाना टोकखुर्द एवं पुलिस बल एवं वन विभाग के वन रक्षकगण व अन्य पंचगण उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में गठित दल द्वारा उपरोक्त सर्वे क्र. 10 रकबा 23.65 हे. का सीमांकन कर अतिक्रमणमुक्त भूमि वनविभाग के वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री राजेन्द्र सोलंकी को उक्त सर्वे नं. पर 23.65 हे. पर कब्जा सौंपा गया। उक्त भूमि का सीमांकन रोवर मशीन से किया गया। अतः पंचनामा लिख दिया जो सही है। उपस्थितजनों के हस्ताक्षर करवाए गए।

[signature] पटवारी PH.NO.40

[signature] 22-10-2024 R.I. टोकखुर्द-2

[signature] pam 4/8 सुरेश बघेल

[signature] वनपरिक्षेत्र अधिकारी देवास (सामान्य) 9 ... (कब्जा लेकर वनीकरण हेतु ... में प्राप्त कर लिया)

[signature] 22/10

[signature]

[signature]

[signature] 22/10/2024

[signature]

[signature] प.ह. नं. 42

22/10/2024
संतोष कुमावत

Rajput
प.इ.नं.43
22/10/2024
कु[illegible]सिंह

प.इ.क.56
22/10/2024
आशिष चौधरी

कब्जा रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र.क्र. 0011/अ-20(3)/2024-25 आदेश दि. 21/08/24 के पालन में श्रीमान तहसीलदार महो. तह. टोंकखुर्द एवं राजस्व निरीक्षक वृत 01, 02 एवं पटवारी ग्राम- मोहम्मदखेड़ा ने सर्वे क्र. 10 रकबा 23.65 हे. का सीमांकन कर आज दिनांक 22/10/24 को अतिक्रमण मुक्त कर हमें कब्जा सौंप दिया गया है।

22/10/24

कब्जा सौंपने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	कब्जा प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1. तहसीलदार महो. तह. टोंकखुर्द	वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री राजेन्द्र सोलंकी देवास
2. राजस्व निरीक्षक वृत 02 — 22/10/24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील टोंकखुर्द जिला देवास	[illegible]
3. राजस्व निरीक्षक वृत 01	
4. मौजा पटवारी मोहम्मदखेड़ा — PH.No.40 22/10/24	

पंचनामा

दि. 22/10/24

हम पंचगण ग्राम - मोहम्मदखेड़ा पट. ह. नं. 40 तह. टोंकखुर्द जिला - देवास के होकर यह पंचनामा तस्दीक कराते है कि श्रीमान कलेक्टर महो. जिला - देवास के रा.प्र. क्र. 0011/अ20(3) 2024-25 मे पारित आदेश दि. 21/08/2024 से ग्राम - मोहम्मदखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 5/1 रकबा 24.695 हे. भूमि मे से रकबा 4.053 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 47 पुराना NH-59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु वनभूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि एवं खातेगांव - कन्नौद ग्रा. स. ज. प्र. योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वनभूमि के वैकल्पिक / क्षतिपूर्ति भूमि 5/1 मे से 12.00 हे. एवं इंदौर - बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि 5/1 मे से 8.642 हे. भूमि आवंटित की गयी है। उक्त आदेश के पालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के आदेश क्र. 2780/R/2024 टोंकखुर्द दि. 18/10/2024 से गठित दल के सदस्य गण मौके पर सीमांकन कर कब्जा देने हेतु उपस्थित हुए। मौके पर श्री विजय तलवारे तहसीलदार टोंकखुर्द, श्री राजेन्द्र सोलंकी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, श्री अनुप सोनी निरीक्षक थाना टोंकखुर्द एवं पुलिस बल उपस्थित हुआ एवं वन स्टाफ उपस्थित हुआ। आस-पास ग्रामों के कोटवार उपस्थित हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर सेनीरज सराठे (साइट इंजीनियर) रेलवे विकास निगम की तरफ से श्री एस. एस. चक्रधर संपर्क अधिकारी (Mob. No. 8827300644), खातेगांव कन्नौद समूह जल प्रदाय योजना की ओर से मोनिका मालवीय (उप. प्रबंधक म. प्र. जलनिगम इंदौर 7067173950) भी मौके पर उपस्थित हुए। पर उपस्थित एवं अन्य ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित सभी की उपस्थिति मे रोवर मशीन से सर्वे क्र. 5/1 रकबा 24.695 हे. का सीमांकन किया जाकर निशान लगवाए गए। रेंजर साहब को सभी सीमाएं समझाई गयी। उपरोक्त रकबा 24.695 हे. का वन विभाग के अधिकारी रेंजर महोदय को आज दि. को कब्जा सौंपा गया। अत: पंचनामा मौके पर लिखा-पढ़ा सुना बाद हस्ताक्षर करवाए गए।

[signature] PH.No.40

उपरोक्त में [illegible] 98 हे० में कृषि कार्य होना पाया गया वर्तमान में [illegible] नहीं है। [signature] 22/10/24 (रोमेश कुमार [illegible])

[signature] 22/10 RVNL, BPL.

[signature] 22-10-24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-7 तहसील टोंकखुर्द जिला देवास

[signature] 22-10-24 Deputy Manager MPJNM, PIU INDORE

P.T.O.

दि. 24/10/24

13

22/10/2024

22/10/24
कृष्णदीप गौतम

22/10/2024

P. N. N. 4/8
फ्रैंकलिनचेन्न

P. भगवान
आशीष चौहान

SE, NHAI
PIU-Harda.

कब्जा रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के प.क्र. 0011/स-20(3)/2024-25 आदेश दि 21/08/24 के पालन मे श्रीमान तहसीलदार महो. तह. टोंकखुर्द एवं राजस्व निरीक्षक वृत 01, 02 एवं पटवारी ग्राम मोहम्मदखेड़ा ने सर्वे क्र. 5/1 रकबा 24.695 हे. का सीमांकन कर आज दि. 22/10/24 को अतिक्रमण मुक्त कर हमे कब्जा सौंप दिया गया है।

कब्जा सौंपने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

1. तहसीलदार महो. तह. टोंकखुर्द
2. राजस्व निरीक्षक वृत 02 — 22/10/24
3. राजस्व निरीक्षक वृत 01
4. मौजा पटवारी मोहम्मदखेड़ा — PH.No-40

कब्जा प्राप्त करने वाले अधि० के हस्ताक्षर — 24/10/24

वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री राजेन्द्र सोलंकी, देवास

उपरोक्त रकबा में लगभग 8 हे० भूमि में कृषि कार्य होना पाया गया किंतु वर्तमान में फसल नहीं है

पंचनामा

हम पंचान ग्राम - मिर्जापुर प.ह.नं. 102 तह देवास के होकर यह पंचनामा तस्दीक करते है कि आज दिनांक 25/10/2024 को ~~श्रीमान~~ रा. प्र. क्र. 011/अ-20(3)/2024-2025 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2024 से स्थित भूमि सर्वे नं. 340/1 रकबा 15.01 हे. भूमि इन्दौर - बुदनी रेल्वे लाईन के निर्माण व्यपवर्तन हेतु वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ती नवीनीकरण हेतु भूमि आवंटित की गई है। उक्त आदेश के पालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महो. के पत्र क्र. 5699/R-1/2024 देवास दिनांक 14/10/2024 एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश क्रं. 011/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 21/08/2024 के पालन में गठित दल के सदस्यगण मौके पर सीमांकन कर कब्जा देने हेतु उपस्थित हुए। मौके पर नायब तहसीलदार श्रीमती दिपिका परमार, वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेन्द्र कुमार सोलंकी, परिक्षेत्र सहायक हाटपिपल्या पश्चिम - राजेन्द्र सिंह चुण्डावत बीटगार्ड राघोगढ़ राहुल धाकड़ तथा ग्राम कोटवार भागीरथ पिता रूग्गा तथा तेजसिंह पिता छोटेला एवं सुरक्षा श्रमिक माधो पिता लखन सिंह तथा मौजा पटवारी, टी.आई. बरोठा श्री प्रदीप राय तथा रेल विभाग से अनिल शिवहरे आदि की उपस्थिती में भूमि सर्वे नं. 340/1 रकबा 15.01 हे. सीमांकन किया गया तथा कब्जा कब्जा वन विभाग को सौंपा गया। उक्त सीमांकन रोवर मशीन से किया गया। अतः पंचनामा मौके पर लिख दिया गया सही।

25/10/24
राजेन्द्र कुमार सोलंकी
वन परिक्षेत्राधिकारी
देवास

अनिल शिवहरे
रेल विकास नि.लि. भोपाल

25/10/24

प.ह.नं. 102

राहुल धाकड़
(व-र)

भागीरथ कोटवार

R. Singh
नायब तह. पुंजापुरा
25-10-2024.

तेजसिंह कोटवार